न्यायालय अति[redacted] कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरि[redacted] द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 73 / 2023
प्रविष्टि दिनांक:– 28.07.2023

1. बाबूलाल पुत्र देवीलाल जाति खाती निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज.

2. नन्दलाल पुत्र नानूलाल जाति खाती निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्टस

बनाम

1–गोपाल पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज.
2–तहसीलदार देवली जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार देवली दिनांक 30.06.2023

उपस्थित:(1) श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक अपीलाण्टस
(2) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं. 1

<u>निर्णय</u> दिनांक:– 30/10/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183(बी) राज० टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं. 1833 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली उसकी खातेदारी की है जिस पर कब्जा अपीलान्टस के पास है, प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा गरीब आदमी है जिसकी भूमि पर अपीलान्टस ने जबरन अतिक्रमण कर रखा है इस प्रकार रेस्पोडेन्टस नं. 1 ने भूमि पर कब्जा दिलाने का निवेदन किया, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपीलान्टस को उक्त भूमि पर से बेदखल कर, पैनेल्टी कायम कर कब्जा रेस्पोडेट नं. 1 को दिलाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्टस ने तहसीलदार देवली के उक्त निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित बताते हुए निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि–विधान तथा वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से चलने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने वास्तविक तथ्यों को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

छिपाकर झूठा प्रा.पत्र रस्पोडेन्ट नं. 02 के यहाँ परतुत किया है जिसमें अपीलान्टस द्वारा जवाब भी पेश किया था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने उक्त जवाब पर कोई ध्यान नही दिया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि धारा 183(बी) अन्दर मियाद प्रस्तुत हुआ है या नहीं, गत 12 वर्षो के भीतर प्रार्थनापत्र लाया गया या नहीं, कब से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है, उन्होंने अपीलान्टस को बेदखल किया या नही इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई ध्यान नहीं दिया तथा इसके अभाव में मनमाना निर्णय/आदेश पारित कर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

आराजी ख०न० 1552 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नं. 1833 रकबा 0.96 हैक्टेयर ग्राम डाबरकलां तहसील देवली दिनांक 16.07.1971 को खातेदार अम्बालाल, लालाराम, रामदेव, गलखूं, रतनी पिसरान मांगीलाल ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर क्रेता देवीलाल, लादूलाल,रामेश्वर, नन्दा को बैचान कर कब्जा दे दिया था तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर कब्जा लगातार पूर्व में अपीलान्टस के पूर्वज देवीलाल रामेश्वर, लादूलाल, व नानूलाल का तथा उसके बाद से लेकर आज तक अपीलान्टस का मौके पर कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार सन् 1971 से अपीलान्टस व इनके पूर्वजो का कब्जा होने से अब धारा 183 बी के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता इस बात की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेण्ट नं. 1 को है परन्तु उसने धारा 183–बी का नाजायज झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है।

अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर 16.07.1971 को की गई लिखा पढ़ी का स्टाम्प व जवाब पेश कर दिया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा अम्बालाल ने अपने हिस्से की रजिस्ट्री रामेश्वर के कहने पर रामदेव वर्मा के नाम करा दी है। अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के यहां नियमित घोषणा का दावा प्रस्तुत कर रखा है जो आज भी विचाराधीन है इसमे रेस्पोडेन्ट सं. 2 स्वयं पार्टी है और उसको इस बात की जानकारी है। जो उक्त दावे में प्रतिवादी नं. 7 के रूप में पक्षकार है, इसके बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय अवैध है तथा निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस का उक्त भूमि पर वर्ष 1971 से लेकर आज तक लगातार कब्जा चला आ रहा है। अब इनको भौतिक रूप से बेदखल नही किया जा सकता, इनको बेदखल करने का समय निकल चुका है। अपीलान्टस का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी के रूप में नहीं है बल्कि कब्जा सदभावी है। विवादित खसरा नं. 1833 रकबा 0.96 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अलावा अन्य पाँच और खातेदार है जिनकी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अकेले रेस्पोडेन्ट नं. 1 को उक्त आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.06.2023 निरस्त किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेण्टस ने अपीलान्टस की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 विधिविधान एवं तथ्यों के अनुकूल है। भूमि आराजी खसरा नं. 1833 रकबा 0.77 हैक्टेयर रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि होकर राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलांटस ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस कारण तहसीलदार देवली ने उक्त निर्णय पारित कर अपीलांट्स को बेदखल करने का आदेश दिया था। अपीलाट्स द्वारा अपने पक्ष में मात्र 16.07.1971 का एक 10 रूपये का स्टाम्प पेपर का इकरारनामा पेश किया है जिसमें अंकित खसरा नं. भी भिन्न है। उक्त इकरारनामे की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्पष्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीग

दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। पटवारी हल्का डाबरकला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट हैं कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलबध समस्त दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन करने से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183(बी) राज० टिनेन्सी एक्ट के अर्न्तगत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं. 1833 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली उसकी खातेदारी की है जिस पर अपीलान्टस ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा गरीब आदमी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस नं. 1 ने अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने का निवेदन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपीलान्टस को उक्त भूमि पर से बेदखल कर, पैनेल्टी कायम कर कब्जा रेस्पोडेट नं. 1 को दिलाने का आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अपीलान्टस द्वारा अपने पक्ष में विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए मात्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंकित एक बेचान इकरारनामा दिनांक 16.07.1971 का पेश किया गया था जिसमें अंकित खसरा नम्बर उक्त विवादित भूमि के खसरा नम्बर से भिन्न है। उक्त इकरारनामे की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है एवं मात्र उक्त इकरारनामे के आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्टस का स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, कोई अन्य स्पष्ट दस्तावेज व न ही किसी प्रकार का साक्ष्य पेश किया गया हैं। पटवारी हल्का डाबरकला की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट हैं कि अपीलांटस बाबूलाल पुत्र देवीलाल खाती व नन्दलाल पुत्र नानूलाल खाती ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत तहसीलदार को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अधिकार है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसे अपनी भूमि पर कब्जा दिलाया जाना उचित है।

उक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस खारिज की जाती है तथा तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सामरतन सांकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक